CASTE RULES IN JAIL MANUALS

SOCIAL JUSTICE

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कई राज्य जेल मैनुअल के कई नियमों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वे "जातिगत मतभेदों को मजबूत करते हैं" और हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें औपनिवेशिक युग में "आपराधिक जनजातियाँ" कहा जाता था।

पृष्ठभूमि:

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर आया, जिन्होंने कई राज्यों की जेल नियमावलियों में भेदभावपूर्ण नियमों की ओर इशारा किया था।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे सभी प्रावधानों और नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल को संशोधित करने का निर्देश दिया है।
- इसने केंद्र को इसी अवधि के भीतर **मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के मसौदे में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक बदलाव करने का भी निर्देश दिया है।**

पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक विरासत और आपराधिक जनजाति अधिनियम

Admission Help Line: +91 9823256625 & 9579247470 (WhatsApp)
Email: info@iqraias.com, support@iqraias.com

- **1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम ने** ब्रिटिश राज को किसी भी समुदाय को **"आपराधिक जनजाति** " घोषित करने की अनुमति दी, यदि उसके सदस्यों को "गैर-जमानती अपराधों को व्यवस्थित रूप से करने का आदी" माना जाता था।
- परिणामस्वरूप, कई जनजातियों को निर्दिष्ट स्थानों पर बसने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उन्हें "जन्मजात अपराधियों" के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की धमकी भी शामिल थी।
- के बाद , 1952 में अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और पूर्व "आपराधिक जनजातियों" को **"विमुक्त जनजातियों" के रूप में जाना जाने लगा।**
- अदालत ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जहां **नियम 41 के तहत " विमुक्त जनजाति के किसी भी सदस्य** को राज्य सरकार के विवेक के अधीन, आदतन अपराधी माना जा सकता है।"

निर्णय की मुख्य बातें:

1. जातिगत पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को मजबूत करने वाले मैनुअल:

- मैनुअल में जेलों में इस तरह से काम सौंपा गया है जो "जाति-आधारित श्रम विभाजन को कायम रखता है और सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करता है।"
- उदाहरण के लिए, **मध्य प्रदेश जेल मैनुअल, 1987 के तहत , अनुसूचित जाति समुदाय, मेहतर जाति** के कैदियों को विशेष रूप से शौचालय साफ करने का काम सौंपा गया है।
- इसी प्रकार, **पश्चिम बंगाल जेल संहिता नियम, 1967 के अंतर्गत, ' कोठरियों में बीमारी** ' से संबंधित नियम 741 में कहा गया है: "भोजन को जेल अधिकारी के पर्यवेक्षण में उपयुक्त जाति के कैदी रसोइयों द्वारा पकाया जाएगा और कोठरियों तक पहुंचाया जाएगा"।

2. कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

अदालतों ने कहा कि नियमों से संविधान के तहत प्रदत्त कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14):

Admission Help Line: +91 9823256625 & 9579247470 (WhatsApp)
Email: info@iqraias.com, support@iqraias.com

- न्यायालय ने कहा कि जाति को वर्गीकरण के आधार के रूप में केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है "जब तक इसका उपयोग जातिगत भेदभाव के पीड़ितों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है", और अन्यथा यह "जातिगत मतभेदों या दुश्मनी को मजबूत करेगा जिसे पहले स्थान पर रोका जाना चाहिए"।
- इससे कुछ जेल में बंद व्यक्तियों को "उनकी सुधारात्मक आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन के समान अवसर, तथा परिणामस्वरूप, सुधार के अवसर" से वंचित होना पड़ेगा।

❖ भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15):

- अदालत ने माना कि ये मैनुअल **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ भेदभाव करते हैं-**

✓ हाशिए पर पड़ी जातियों को साफ-सफाई और झाड़ू लगाने जैसे काम तथा "अगली" जातियों को खाना पकाने जैसे काम सौंपकर; तथा

✓ अप्रत्यक्ष रूप से इस रूढ़ि को कायम रखते हुए कि "इन समुदायों के लोग अधिक कुशल, प्रतिष्ठित या बौद्धिक कार्य करने में या तो अक्षम हैं या उसके लिए अयोग्य हैं"।

❖ अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17):

- **उत्तर प्रदेश का नियम दोषियों को "अपमानजनक या निम्न चरित्र के कर्तव्य "** निभाने की अनुमति देता है, यदि वे "ऐसे कर्तव्यों को निभाने के आदी वर्ग या समुदाय" से संबंधित हों।
- " यह धारणा कि किसी व्यवसाय को "अपमानजनक या निम्नस्तरीय" माना जाता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का एक पहलू है"।

❖ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21):

- अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार "व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास की परिकल्पना करता है" और "हाशिए पर पड़े समुदायों के व्यक्तियों के जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में जातिगत बाधाओं को दूर करने का अधिकार प्रदान करता है"।

Admission Help Line: +91 9823256625 & 9579247470 (WhatsApp)
Email: info@iqraias.com, support@iqraias.com

- हालांकि, जेल मैनुअल में कुछ नियम "हाशिए के समुदायों के कैदियों के सुधार को प्रतिबंधित करते हैं" और "हाशिए के समूहों के कैदियों को सम्मान की भावना और इस उम्मीद से वंचित करते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए", जो इस अधिकार का उल्लंघन है।

❖ **बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23):**

- अदालत ने कहा कि हाशिए पर पड़े समुदायों के सदस्यों पर ऐसा श्रम या काम थोपना, जिसे अशुद्ध या निम्न श्रेणी का माना जाता है, अनुच्छेद 23 के तहत **"जबरन श्रम " के बराबर है।**

स्रोत: ईआई

IQRA IAS

Admission Help Line: +91 9823256625 & 9579247470 (WhatsApp)
Email: info@iqraias.com, support@iqraias.com